

आदेश संख्या/जीएसटी -2017-18/

18 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०
(जीएसटी अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक: 25 जनवरी, 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उ०प्र० अधि० 1 सन् 2017) की धारा 168 सपठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आयुक्त राज्य कर, आदेश संख्या/जीएसटी -2017-18/12/वाणिज्य कर दिनांक-21.11.2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुये जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रान्त करते हुये किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 65 सपठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-6 में माह जुलाई, 2017 से फरवरी, 2018 माह के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा का 31 मार्च, 2018 तक विस्तार करती हूँ।


(कामिनी चौहान रसन)

आयुक्त राज्य कर
उत्तर प्रदेश ।